न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 195 / 2024

1. कलवंत कौर पत्नी अमरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. किरना पुत्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. रमनदीप कौर पुत्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. सोना पुत्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. सतवीर पुत्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. बलजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. लखविन्द्र कौर पत्नी बीकर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. मनदीप कौर पुत्री बीकर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. अमृतपाल सिंह पुत्र बीकर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
10. प्रेमपाल सिंह पुत्र बीकर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
11. मनजीत कौर पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
12. मल सिंह उर्फ मलकीत सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरुसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
13. राजपाल कौर पुत्री सीता सिंह जाति जटसिख सः किन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
14. परविन्द्र कौर पत्नी गुरलाल सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
15. अर्शदीप सिंह पुत्र गुरलाल सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
16. शमनजीत सिंह पुत्र गुरलाल सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

17. जसविन्द्र सिंह पुत्र सीता सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

18. हरबंश कौर पत्नी निर्मल सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

19. गुरदीप कौर पुत्री कपूर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

20. जसवीर कौर पुत्री कपूर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

21. नवप्रीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

22. लक्ष्मन सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

23. लवप्रीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

24. हरप्रीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरीक सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति रामदासिया साकिन 1 एस टी वाई ए तहसील घडसाना जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

2. रूघाराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल साकिन 34 एस टी जी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

3. नसीब कौर पत्नी मघर सिंह जाति जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4. जसमीत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

5. नाजम सिंह पुत्र मिठु सिंह जाति मजहबी सा[illegible] तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

6. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) कोलोनाइजेशन एक्ट राजस्व रास्ता बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा — प्रार्थीगण
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — अप्रार्थी सं. 1 ता 5
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी सं. 19

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 23/09/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) कोलोनाइजेशन एक्ट राजस्व रास्ता बाबत प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण का प्रमाणित पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित है। यह कि प्रार्थी सं. 1 ता 18 के हिस्से की चक 29 एम ओ डी–बी के खाता सं. 228/66 के मु. नं. 68 के प.नं. 21/259 के किला नं. 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/12/0.025, 7, 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025 17, 24, 25/3/0.127, 25/4/0. 025 की कुल 2.429 हैक्. अनकमाण्ड गैर मु. रास्ता में मिन प्रार्थी सं. 1 ता 5, 20, 22, 23 जो कि अमरजीत सिंह उर्फ प्रमजीत सिंह के वारिस है प्रमजीत सिंह उर्फ अमरजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसका 1/10 हिस्सा है। व मिन प्रार्थी सं. 6 का 1/15 हिस्सा व मिन प्रार्थी सं. 7 ता 10 जो बीकर सिंह के वारिस है बीकर सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिस मिन प्रार्थी सं. 7 ता 10 है बीकर सिंह का 1/15 हिस्सा व मिन प्रार्थी सं. 11 का 2/5 व मिन प्रार्थी सं. 12 का 1/15 है मिन प्रार्थी सं. 12 को मल सिंह व मलकीत सिंह के नाम से जाना जाता है, व मिन प्रार्थी सं. 13 व 17 सीता सिंह के वारिस है व प्रार्थी सं. 14 ता 16 सीता सिंह के मृत पुत्र गुरलाल सिंह के वारिस है सीता सिंह का 1/15 हिस्सा, व मिन प्रार्थी सं. 18 का 1/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। दर्ज हिस्से अनुसार मिन प्रार्थीगण कब्जा काश्त है। जमांबदी सलग्नं प्रार्थना पत्र है।

यह कि मिन प्रार्थी के हिस्से की निम्नानुसार चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 3/58 के मु. नं. 21 के प.नं. 20/259 के किला नं. 1 ता 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0. 228, 6/2/0. 025, 714, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ज 24, 25/1/0. 228, 25/2/0.025 की कुल 6.325 हैक्. अनकमाण्ड गैर मु. खाला में मिन प्रार्थी सं. 6 का 304/6325 हिस्सा व प्रार्थी सं. 7 ता 10 बीकर सिंह के वारिस है बीकर सिंह की मृत्यु हो चुकी है बीकर सिंह का 1139/6325 हिस्सा दर्ज है व मिन प्रार्थी सं. 11 का 1391/6325 हिस्सा, मिन प्रार्थी सं. 18 का 76/6325 हिस्सा व मिन प्रार्थी सं. 6, 12, 13, 17, 19, 20 कपूर सिंह के पुत्र पुत्रींया है व मिन प्रार्थी सं. 14 ता 16 कपूर सिंह के पुत्र सीता सिंह के पुत्र गुरलाल सिंह जिसकी मृत्यु हो चुकी है के पत्नी व पुत्र है कपूर सिंह जिसकी मृत्यु हो चुकी है के विधिक वारिस बलजीतरि लवप्रीत सिंह हरप्रीत सिंह नवजीत सिंह व कपूर सिंह का 961/6325 हिस्सा दर्ज है व मिन प्रार्थी सं. 21 का 1189/18975 हिस्सा व मिन प्रार्थी सं. 22 का 1/5 हिस्सा व मिन प्रार्थी सं. 23 का 1189/18975 हिस्सा, व मिन प्रार्थी सं. 24 का 1189/18975 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व इसी अनुसार कब्जा काश्त है। जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 20/13 के मु.नं. 4 के प. नं. 19/256 के किला नं. 16/5 [illegible] 24, 25/1/0.215, 25/2/0.038 की कुल 2.429 नहरी गैर मु. रास्ता [illegible] है व इसी अनुसार कब्जा काश्त है। जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम चक 29 [illegible] सं. 59/43 के मु.नं. 3 के प. नं. 20/256 के किला नं. 11 ता 20 की कुल 2.530 [illegible] नहरी दर्ज रिकार्ड है व इसी अनुसार कब्जा काश्त है। जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

6. यह कि अप्रार्थी सं. 3 के नाम चक 29 एम ओ डी–बी के खाता सं. 71/60 के मु.नं. 76 के प. नं. 21/260 के किला नं. 3, 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

025, 7, 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 की कुल 2.277 हैव. अनकमाण्ड गैर मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है व उसी अनुसार कब्जा काश्त है। जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 4 के नाम चक 29 एम ओ डी–बी के खाता सं. 50/46 के प.नं. 21/260 के मु.नं. 76 के किला न. 25/1/0.228, 25/2/0.025, व प.न. 21/261 के मु.नं. 77 के किला नं. 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7, 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, की कुल 2.163 हैव. अनकमाण्ड गैर मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है व उसी अनुसार कब्जा काश्त है। जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 5 के नाम चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 32/24 के प.नं. 20/256 के मु.नं. 3 के किला नं. 1 ता 10 की कुल 2.530 हैव. नहरी राजस्व दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि मिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में दर्ज रिकार्ड है। मिन प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने व कृषि के औजार लाने ले जाने के लिए गांव गुरूसरमोडिया से पश्चिम की ओर जाने वाली पक्की रोड से प.नं. 18/252 में उतर की ओर जाने वाले रास्ता से जाते हुए प.नं. 19/256 के किला नं. 25/2/0.025 में बने रास्ते तक पहुचंते है । प.नं. 19/256 के किला नं. 25/2/0.038 रास्ता गैर मु. दर्ज रिकार्ड है इस रास्ते तक पहुचंते हुए मिन प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, 24/0.025, 25/0,022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0. 019 पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 17/0.025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है से जाते हुए प.नं. 21/256 व 21/259 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में बने रास्ते से अपनी कृषि भूमि प.नं. 21/259 व 20/259 में पहुचंते है । अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि में से मिन प्रार्थीगण आवागमन करते है व इस रास्ते का अपने पूर्वजो के समय से ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। मिन प्रार्थीगण के पूर्वज जिनके नाम प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में दर्ज कृषि भूमि थी उनके समय से ही अप्रार्थी सं. 1 के किला नं. 21 ता 25 व 20 व अप्रार्थी सं. 2 के किला नं. 16 ता 20 में बने रास्ते से अपनी कृषि भूमि में आते जाते है व इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है क्योंकि गांव गुरूसरमोडिया से प.नं. 18/262 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 से उतर कि ओर जाने वाली पत्थर लाईन 18 से रास्ता उतर की ओर जाता हुआ पत्थर लाईन 19 पर अप्रार्थी सं. 1 के प.नं. 19/256 के किला नं. 25 तक व उससे आगे निकलता है मिन प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के किला नं. 25 में दर्ज प.नं. 19/256 के किला नं. 25 में गैर मु. चालु रास्ता से अप्रार्थी सं. 1 के किला नं. 20 से 25 से होते हुए अप्रार्थी सं. 2 के प.नं. 20/256 के किला नं. 16 ता 20 में बने रास्ते से गांव खोथांवाली की ओर से आने वाले रास्ते जो प.नं. 21/256, 21/257, 21/258, 21/259 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में मिलता है इस प्रकार गांव गुरूसरमोडिया से निकलने वाले रास्ते से मिन प्रार्थीगण आते जाते हुए अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि में बने हुए रास्ते से होते हुए गांव खोथांवाली से आने वाले रास्ते से मिलते हुए अपनी कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/259 व 21/259 में पहुचते है व मिन प्रार्थीगण इसी रास्ते का [illegible] दराज से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इस रास्ते के अलावा आने जाने हेतु वैकल्पिक, सुगम, सरल व गांव गुरूसरमोडिया व खोथांवाली को मिलाने वाला और कोई रास्ता नहीं है यही वैकल्पिक रास्ता है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 5 जिनकी कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 जो प्रार्थना पत्र की दफा 8 में वर्णित है भी इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

है। मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 व अन्य काश्तकार अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला नं. 16/0. 025, 17/0.025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है के रास्ते को स्वीकृत करवाने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 प्रार्थना पत्र की दफा 9 में वर्णित कृषि भूमि में बने रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है चूंकि मिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि अनकमाण्ड है व काफी रेतीली है जिसमें आना जाना बेहद मुश्किल है। काफी उंचे टिले है इस कारण मिन प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में प.नं. 20/259 व 21/259 में दर्ज है व इसके उतर में स्थित कृषि भूमियां जिसमें से मिन प्रार्थीगण प.नं. 21/256 से 21/258 तक के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में बने रास्ते का उपयोग व उपभोग करता हुआ अपनी कृषि भूमि में आता जाते है। मिन प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के की यह व्यवस्था गावं श्री गुरूसरमोडिया से मिन प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से ही है चूंकि इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प के रूप से आने जाने हेतु सुगम व आसान नहीं थे। रेतीली व उंचे टिले होने के कारण प्रार्थीगण के पूर्वजो को भी प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 मे वर्णित कृषि भूमि मे आने जाने हेतु बेहद कठिन, मुश्किल व असम्भव कार्य था इस कारण प्रार्थीगण की कृषि भूमि हेतु प्रार्थीगण के पूर्वजो के द्वारा ही श्री गुरूसरमोडिया से अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 25 तक गैर मु. रास्ते से आते हुए अप्रार्थी सं. 1 व 2 अमरजीत सिंह व रूघाराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में बने रास्ते अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 17/0. 025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है से अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है। अप्रार्थी सं. 3 नसीब कौर के प.नं. 21/260 जो प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कृषि भूमि है के किला नं. 5, 6, 15, 16, में दर्ज गैर मु. रास्ता व अप्रार्थी सं. 4 जसमीत सिंह के प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0. 025, हैक. दर्ज रास्ता व प.नं. 21/261 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 में दर्ज रास्ता का उपयोग व उपभोग कभी भी नहीं हुआ है अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम अलग अलग दर्ज रिकार्ड कृषि भूमि में रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा मिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि के अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि दक्षिण दिशा में चिपते है लेकिन मिन प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ते का कभी उपयोग व उपभोग किसी भी वैकल्पिक रास्ते के रूप में नहीं किया क्योकिं अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम प.नं. 21/260 व 21/261 में दर्ज रास्ते में काफी रेतीली [illegible] जिससे रास्ता के रूप में उपयोग व उपभोग करना असम्भव कार्य है इस कारण [illegible] भूमि में दर्ज रास्ते का किसी भी काश्तकार द्वारा उपयोग व उपभोग [illegible] रास्ता कभी भी चालु रहा। मिन प्रार्थीगण द्वारा इस रास्ता में [illegible] अप्रार्थी सं. 1 व 2 के प.नं. 19/256 व 20/256 में जो रास्ता चाहा गया है व चालु [illegible]प्त कर लिया है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ते का सिफट करते हुए अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि में बने रास्ते को प्रार्थीगण स्वीकृत करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि मे चालु रास्ता स्वीकृत होने की स्थिती में अप्रार्थी सं. 3 व 4 क्रमशः नसीब कौर व जसमीत सिंह के प. नं. 21/260 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025, 16/2/0.025 व प.

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0.025 हैव. में व प.नं. 21/261 के किला नं. 5/2/0. 025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 में दर्ज रास्ते को सिफट होने की स्थिती में अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि में चालु न होने की स्थिती में निरस्त किया जाकर कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि में दर्ज रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0. 025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 17/0.025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है को में सिफट किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में उक्त अनुसार रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। यह कि अप्रार्थी सं. 6 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 3 व 4 क्रमशः नसीब कौर व जसमीत सिंह के चक 29 एमओडी बी प.न. 21/260 के किला नं. 5/2/0. 025, 6/2/0.025, 15/2/0.025, 16/2/0.025 व प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0. 025 हैव. में व प.नं. 21/261 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 में दर्ज रास्ते को सिफट होने की स्थिती में अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि में चालू न होने की स्थिती में निरस्त किया जाकर कृषि भूमि, अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि में रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के चक 29 एमओडी ए किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व प.न. 19/256 के किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प. नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 17/0.025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है को में सिफट किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में उक्त अनुसार रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता के दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को नोटिस जारी किया गया अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा की ओर से वकालतनामा मय जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 व 2 निम्न प्रकार से है –यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित कथन पंजीकृत पते से सम्बंधित हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। जिसके प्रार्थी सं. 1 ता 18 राजस्व रिकार्ड अनुसार अपना हक व हिस्सा पाने के अधिकारी है। 3. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थीगण अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित कृषि भूमि मिन प्रार्थीगण के नाम चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 20/13 के मु.नं. 4 के प.नं. [illegible] किला नं. 16/5/0.133, 16/6/0.019, 17 ता 24, 25/1/[illegible] 29 नहरी गैर मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड राजस्व रिकार्ड [illegible] अनुसार मिन अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी सं. 2 के नाम चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 59/43 के मु.नं. 3 के प.नं. 20/256 के किला नं. 11 ता 20 की कुल 2.530 हैव. नहरी दर्ज रिकार्ड है जो कि स्वीकार है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। इस दफा में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 3 के नाम चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 71/60 के मु. नं. 76 के प.नं. 21/260 के किला नं. 3, 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7, 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 की कुल 2.277 हैक्. अनकमाण्ड गैर मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है जो अप्रार्थी सं. 3 की है जिसके प.नं 21/260 किला नं. 5, 6, 15, 16 में रास्ता मौका पर चालु नहीं रहा क्योंकि इस कृषि भूमि में कृषि भूमि काफी रेतील व उंची होने के कारण रास्ता निकलना असमर्थ था । प्रार्थीगण को अन्य रास्ते विकल्प के रूप में उपलब्ध होने के कारण इनकी कृषि भूमि में रास्ता कभी भी चालु नहीं रहा।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 4 के नाम चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 50/46 के प.नं. 21/260 के मु.नं. 76 के किला न. 25/1/0.228, 25/2/0.025, व प.न. 21/261 के मु.नं. 77 के किला नं. 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7, 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, की कुल 2.163 हैक्. अनकमाण्ड गैर मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0.025 हैक्. व प.नं. 21/261 के किला नं. 5, 6, 15 में दर्ज रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा क्योंकि इन बीघो में काफी उंचाई भूमि होने वे उंचे टिले होने के कारण रास्ता चलना असम्भव था इस कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 4 की इन बीघो में कभी रास्ता विकल्प के रूप में नहीं चुना बल्कि उनको अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए मिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम जो कृषि भूमि है उसमें बने रास्ते से गांव गुरुसर मोडिया से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आते जाते है व उसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है इस कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 में वर्णित कथन स्वीकार है, प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार कथन अकिंत किए गए है स्वीकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 व अन्य काश्तकार मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 2210.025, 23/0.025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0 019 पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए मिन अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 1710. 025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है के रास्ते को स्वीकृत करवाते है जो तो मिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 को कोई एतराज नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 में वर्णित कथन स्वीकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 प्रार्थना पत्र की दफा 9 में वर्णित कृषि भूमि में बने रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है चूंकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि अनकमाण्ड है व काफी रेतीली है जिसमें आना जाना बेहद मुश्किल है। काफी उंचे टिले है इस कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में प. नं. 20/259 व 21/259 में दर्ज है व इसके उत्तर में स्थित कृषि भूमियां जिसमें से प्रार्थीगण प. नं. 21/256 से 21/258 तक के किला [illegible] 15, 16, 25 में बने रास्ते का उपयोग व उपभोग करता हुआ अपनी कृषि भूमि में [illegible] इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प के रूप से आने [illegible] मिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 अमरजीत सिंह व रूघाराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में बने रास्ते अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, [illegible]/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला न. 16/0.025, 17/0.025, 18/0.025,

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है से अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है। अप्रार्थी सं. 3 नसीब कौर के प.नं. 21/260 जो प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कृषि भूमि है के किला नं. 5, 6, 15, 16, में दर्ज गैरमु. रास्ता व अप्रार्थी सं. 4 जसमीत सिंह के प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0.025, हैक. दर्ज रास्ता व प.नं. 21/261 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 में दर्ज रास्ता का उपयोग व उपभोग कभी भी नहीं हुआ है अप्रार्थी सं, 3 व 4 के नाम अलग अलग दर्ज रिकार्ड कृषि भूमि में रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा प्रार्थीगण की कृषि भूमि के अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि उतर दिशा में चिपते है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ते का कभी उपयोग व उपभोग किसी भी वैकल्पिक रास्ते के रूप में नहीं किया क्योकिं अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम प.नं. 21/260 व 21/261 में बने रास्ते में काफी रेतीला उंचाईदार उंची कृषि भूमि है जिससे रास्ता के रूप में उपयोग व उपभोग करना असम्भव कार्य है इस कारण इस कृषि भूमि में बने रास्ते का किसी भी काश्तकार द्वारा उपयोग व उपभोग नहीं किया गया न ही यह रास्ता कभी भी चालु रहा। प्रार्थीगण द्वारा इस रास्ता में दर्ज कृषि भूमि के बदले मिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 के प. नं. 19/256 व 20/256 में जो रास्ता चाहा गया है व चालु है प्राप्त कर लिया है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ते का सिफट करते हुए मिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि में बने रास्ते को प्रार्थीगण स्वीकृत करवाने के अधिकारी है। मिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि में चालु रास्ता स्वीकृत होने की स्थिती में अप्रार्थी सं. 3 व 4 क्रमशः नसीब कौर व जसमीत सिंह के प.नं. 21/260 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025, 16/2/0.025 व प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0.025 हैक. में व प.नं. 21/261 के किला नं. 5/2/0.025, 6/210.025, 15/2/0.025 में बने रास्ते को सिफट होने की स्थिती में अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि में चालू न होने की स्थिती में निरस्त किया जाकर कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि में बने रास्ते को मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए मिन अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प. नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 17/0.025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है को में सिफट किया जाकर मिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में उक्त अनुसार रास्ता को स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज के प.नं. 21/260 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025, 16/2/0.025 व प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0.025 हैक. में व प.नं. 21/281 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 को सिफट होने की स्थिती में निरस्त किया जाकर रास्ता की इस निरस्त भूमि को अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज रिकार्ड किए जाने के आदेश फरमाए जावें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर [illegible] मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.0[illegible] में द[illegible] दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. [illegible] 25/0.022 दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 [illegible] हुए मिन अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला नं. [illegible]/0.025, 17/0.025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है को में सिफट किया जाकर मिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में उक्त अनुसार रास्ता को स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज के प.नं. 21/260 के किला नं. 5/2/0. 025, 6/2/0.025, 15/2/0.025, 16/2/0.025 व प.नं. 21/260 के किला नं.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

25/2/0.025 हैक. में व प.नं. 21/261 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 को सिफट होने की स्थिती में निरस्त किया जाकर रास्ता की इस निरस्त भूमि को अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज रिकार्ड किए जाने के आदेश फरमाए जावें तो हमें कोई उजर व एतराज नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित कथन पंजीकृत पते से सम्बंधित है जिसे प्रार्थीगण स्वय सिद्ध करें। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित प्रार्थी सं. 1 ता 18 के हिस्से की चक 29 एम ओ डी–बी के खाता सं. 228/66 के मु.नं. 68 के प.नं. 21/259 के किला नं. 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7, 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025 17, 24, 25/3/0.127, 25/4/0.025 की कुल 2.429 हैव. अनकमाण्ड गैर मु. रास्ता में प्रार्थी सं. ता5, 20, 22, 23 जो कि अमरजीत सिंह उर्फ प्रमजीत सिंह के वारिस है प्रमजीत सिंह उर्फ अमरजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसका 1/10 हिस्सा, है । व प्रार्थी सं. 6 का 1/15 हिस्सा व प्रार्थी सं. 7 ता 10 जो बीकर सिंह के वारिस है बीकर सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधि वारिस प्रार्थी सं. 7 ता 10 है बीकर सिंह का 1/15 हिस्सा व प्रार्थी सं. 11 का 2/5 व प्रार्थी सं. 12 का 1/15 है प्रार्थी सं. 12 को मल सिंह व मलकीत सिंह के नाम से जाना जाता है, प्रार्थी सं. 13 व 17 सीता सिंह के वारिस है व प्रार्थी सं. 14 ता 16 सीता सिंह के मृत पुत्र गुरलाल सिंह के वारिस है सीता सिंह का 1/15 हिस्सा, व प्रार्थी सं. 18 का 1/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड को प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे जो राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है। शेष कथन अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 अनुसार प्रार्थी के हिस्से की निम्नानुसार चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 3/58 के मु.नं. 21 के प.नं. 20/259 के किला नं. 1 ता 4, 5/1/0.228, 5/2/0. 025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0. 025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल 6.325 हैव. अनकमाण्ड गैर में प्रार्थी सं. 5 का 304/6325 हिस्सा व प्रार्थी सं. 7 ता 10 बीकर सिंह के वारिस है बीकर सिंह मु. खाला की मृत्यु हो चुकी है बीकर सिंह का 1139/6325 हिस्सा दर्ज है व प्रार्थी सं. 11 का 1391/6325 हिस्सा, व प्रार्थी सं. 18 का 76/6325 हिस्सा व प्रार्थी सं. 6, 12, 13, 17, 19, 20 कपूर सिंह के पुत्र पुत्रींया है व प्रार्थी सं. 14 ता 16 कपूर सिंह के पुत्र सीता सिंह के पुत्र गुरलाल सिंह जिसकी मृत्यु हो चुकी है के पत्नी व पुत्र है कपूर सिंह जिसकी मृत्यु हो चुकी है के विधिक वारिस है कपूर सिंह का 961/6325 हिस्सा दर्ज है व मिन प्रार्थी सं. 21 का 1189/18975 हिस्सा व प्रार्थी सं. 22 का 1/5 हिस्सा व प्रार्थी सं. 23 का 1189/18975 हिस्सा, व प्रार्थी सं. 24 का 1189/18975 हिस्सा दर्ज रिकार्ड को प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे जो राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है उसी अनुसार कब्जा होना स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार है। कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 20/13 के मु.नं. 4 के प.नं. 19/256 के किला नं. 16/5/0.133, 16/6/0.019, 17 ता 24, 25 [illegible] कुल 2.429 नहरी गैर मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है। अ[illegible] कब्जा होना स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रा[illegible]डी–ए के खाता सं. 59/43 के मु.नं. 3 के प.नं. 20/25[illegible] की कुल 2.530 हैक. नहरी दर्ज रिकार्ड है व इसी अनुसार कब्जा काश्त है। यह कि प्र[illegible]। पत्र में वर्णित अप्रार्थी सं. 3 के नाम चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 71/60 के मु.नं. 76 के प.नं. 21/260 के किला नं. 3, 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7, 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 2. 277 हैव. अनकमाण्ड गैर मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है जो अप्रार्थी सं. 3 की है जिसके प.नं 21/260 किला नं. 5, 6, 15, 16 में रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

3

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मौका पर चालु नहीं रहा क्योंकि इस कृषि भूमि में कृषि भूमि काफी रेतील व उंची होने के कारण रास्ता निकलना असमर्थ था। प्रार्थीगण को अन्य रास्ते विकल्प के रूप में उपलब्ध होने के कारण इनकी कृषि भूमि में रास्ता कभी भी चालु नहीं रहा व उसी अनुसार कब्जा काश्त है इस कारण स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित अप्रार्थी सं. 4 के नाम चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 50/46 के प.नं. 21/260 के मु.नं. 76 के किला न. 25/1/0.228, 25/2/0.025, व प.न. 21/261 के मु.नं. 77 के किला नं. 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7, 14, 15/1/0 228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, की कुल 2.163 हैक. अनकमाण्ड गैर मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है जो मिन अप्रार्थी की है जिसमें प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0.025 हैक. व प.नं. 21/261 के किला नं. 5, 6, 15 में दर्ज रास्ता कभी भी चालु नहीं रहा क्योंकि इन बीघो मे काफी उंचाई भूमि होने वे उंचे टिले होने के कारण रास्ता चलना असम्भव था इस कारण प्रार्थीगण ने मिन अप्रार्थी सं. 4 की इन बीघो में कभी रास्ता विकल्प के रूप में नहीं चुना बल्कि उनको अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम जो कृषि भूमि है उसमें बने रास्ते से गांव गुरुसर मोडिया से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आते जाते है व उसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है इस कारण स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी सं. 5 के नाम चक 29 एम ओ डी–ए के खाता सं. 32/24 के प.नं. 20/256 के मु.नं. 3 के किला नं. 1 ता 10 की कुल 2.530 हैक. नहरी राजस्व दर्ज रिकार्ड है जो कि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है इस कारण स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 में वर्णित कृषि भूमि व कथन स्वीकार है, प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार कथन अकिंत किए गए है स्वीकार है प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में दर्ज रिकार्ड है में आने जाने व कृषि के औजार लाने ले जाने के लिए गांव गुरुसर मोडिया से पश्चिम की ओर जाने वाली पक्की रोड से प.नं. 18/262 में उतर की ओर जाने वाले रास्ता से जाते हुए प.नं. 19/256 के किला नं. 25/2/0.025 में बने रास्ते तक पहुचंते है। प.नं. 19/256 के किला नं. 25/2/0.038 रास्ता गैर मु. दर्ज रिकार्ड है इस रास्ते तक पहुचंते हुए अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 17/0.025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है से जाते हुए प.नं. 21/256 व 21/259 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में बने रास्ते से अपनी कृषि भूमि प.नं. 21/259 व 20/259 में पहुचंते है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि में से प्रार्थीगण आवागमन करते है व इस रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है व इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है क्योंकि गांव गुरूसरमोडिया से प.नं. 18/262 के किला नं. 5, 6, [illegible] से उत्तर कि ओर जाने वाली पत्थर लाईन 18 से रास्ता उत्तर की ओर जाता हुआ [illegible] 19 पर अप्रार्थी सं. 1 के प.नं. 19/256 के किला नं. 25 तक [illegible] अप्रार्थी सं. 1 के किला नं. 25 में दर्ज प.नं. 19/256 के किला नं. 25 [illegible] मु. चालु रास्ता से अप्रार्थी सं. 1 के किला नं. 20 से 25 से होते हुए अप्रार्थी सं. 2 के प.नं. 20/256 के किला नं. 16 ता 20 में बने रास्ते से गांव खोथांवाली की ओर से आने वाले रास्ते जो प.नं. 21/256, 21/257, 21/258, 21/259 प्रत्येक के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में मिलता है इस प्रकार गांव गुरूसरमोडिया से निकलने वाले रास्ते से प्रार्थीगण आते जाते हुए अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि में बने हुए रास्ते से जाते हुए गांव खोथावाली से आने वाले रास्ते से मिलते हुए अपनी कृ

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

षि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/259 व 21/259 में पहुंचते है व प्रार्थीगण इसी रास्ते का अर्सा दराज से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इस रास्ते के अलावा आने जाने हेतु वैकल्पिक, सुगम, सरल व गांव गुरूसरमोडिया व खोथांवाली को मिलाने वाला और कोई रास्ता नहीं है यही वैकल्पिक रास्ता है।

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 प्रार्थना पत्र की दफा 9 में वर्णित कृषि भूमि में बने रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है चूंकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि अनकमाण्ड है व काफी रेतीली है जिसमें आना जाना बेहद मुश्किल है। काफी उंचे टिले है इस कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में प.नं. 20/259 व 21/259 में दर्ज है व इसके उत्तर में स्थित कृषि भूमियां जिसमें से प्रार्थीगण प.नं. 21/256 से 21/258 तक के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में बने रास्ते का उपयोग व उपभोग करता हुआ अपनी कृषि भूमि में आता जाते है चूंकि इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प के रूप से आने जाने हेतु सुगम व आसान नहीं थे। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अमरजीत सिंह व रूघाराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में बने रास्ते अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 17/0.025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है से अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है। अप्रार्थी सं. 3 नसीब कौर के प.नं. 21/260 जो प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कृषि भूमि है के किला नं. 5, 6, 15, 16, में दर्ज गैर मु. रास्ता व मिन अप्रार्थी सं. 4 जसमीत सिंह के प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0.025, हैक. दर्ज रास्ता व प.नं, 21/261 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 में दर्ज रास्ता का उपयोग व उपभोग कभी भी नहीं हुआ है अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम अलग अलग दर्ज रिकार्ड कृषि भूमि में रास्ता कभी भी चालु नहीं रहा प्रार्थीगण की कृषि भूमि के अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि उतर दिशा में चिपते है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ते का कभी उपयोग व उपभोग किसी भी वैकल्पिक रास्ते

रूप में नहीं किया क्योकिं अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम प.नं. 21/260 व 21/261 में बने रास्ते में काफी रेतीला उंचाईदार उंची कृषि भूमि है जिससे रास्ता के रूप में उपयोग व उपभोग करना असम्भव कार्य है इस कारण इस कृषि भूमि में बने रास्ते का किसी भी काश्तकार द्वारा उपयोग व उपभोग नहीं किया गया न ही यह रास्ता कभी भी चालु रहा। प्रार्थीगण द्वारा इस रास्ता में दर्ज कृषि भूमि के बदले अप्रार्थी सं. 1 व 2 के प.नं. 19/256 व 20/256 में जो रास्ता चाहा गया है व चालु है प्राप्त कर लिया है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ते का सिफट करते हुए अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि में बने रास्ते को प्रार्थीगण स्वीकृत करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि में चालु रास्ता स्वीकृत होने की स्थिती में अप्रार्थी सं. 3 व 4 क्रमशः नसीब कौर व जसमीत सिंह के प.नं. 21/260 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0. 025, 15/2/0.025, 16/25 व प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0.025 हैक. में व प.नं. 21/261 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 में बने रास्ते को सिफ्ट होने की स्थिती में अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि में चालू न होने की स्थिती में निरस्त किया जाकर कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि में बने रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नं. 16/0.025, 17/0.025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0. 025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है को में सिफट किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में उक्त अनुसार रास्ता को स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज के प.नं. 21/260 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025, 16/2/0. 025 व प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0.025 हैक. में व प.नं. 21/261 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 को सिफट होने की स्थिती में निरस्त किया जाकर रास्ता की इस निरस्त भूमि को अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज रिकार्ड किए जाने के आदेश फरमाए जावें ।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 17/0.025, 18/0.025, 19/0. 025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है को में सिफट किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में उक्त अनुसार रास्ता को स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज के प.नं. 21/260 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0. 025, 15/2/0,025, 16/2/0.025 व प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0.025 हैक. में व प.नं. 21/261 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 को सिफट होने की स्थिती में निरस्त किया जाकर रास्ता की इस निरस्त भूमि को अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज रिकार्ड किए जाने के आदेश फरमाए जावें ।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित कथन पंजीकृत पते से सम्बंधित हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 3. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 4. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 6. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 7. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है। में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है। में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है। में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है। में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी सं. 5 के नाम चक 29 एम ओ डी ए के खाता सं. 32/24 के प.नं. 20/256 के किला नं. 1 ता 10 की कुल 2.530 हैक. नहरी राजस्व दर्ज रिकार्ड है जो मिन अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 में वर्णित कथन स्वीकार है, कि प्रार्थीगण व मिन अप्रार्थी सं. 5 व अन्य काश्तकार अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के प.नं. 19/256 के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0. 025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं. 006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी ए के प.नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 17/0. 025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है के रास्ते को स्वीकृत करवाने व [illegible] करवाने के अधिकारी है व अप्रार्थी सं. 3 के चक 29 एम ओ डी ए के प.नं. 21/260 20/256 के किला नं. 5, 6, 15, 16 व प.नं. 21/260 के किला नं. 25 व अप्रार्थी सं. 4 के प.नं. 21/261 के किला नं. 5, 6, 15 में दर्ज रास्ते को निरस्त कर अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम भूमि को दर्ज किया जावें तो मिन अप्रार्थी को कोई आपति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 में वर्णित कथन स्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 3 व 4 क्रमशः नसीब कौर व जसमीत सिंह के नाम चक 29 एम ओ डी बी के प.नं. 21/260 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025, 16/2/0.025 व प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0. 025 हैक. में व प.नं. 21/261 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 में दर्ज रास्ते को सिफट होने की स्थिती में अप्रार्थी सं. 3 व 4 की कृषि भूमि में चालु न होने की स्थिती में निरस्त किया जाकर रास्ता की भूमि को कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज की जावें। अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, 24/0. 025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा मे बने व चालु रास्ते से पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण व किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प.नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 17/0 025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है, अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में उक्त अनुसार रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 380 दिनांक 8.05.25 व पत्रांक 739 दिनांक 15.09.25 से प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता चक 29 एम.ओ.डी. ए. (सूरांवाली) प.नं. 19/256 मु.नं. 4 कि.नं. 21 में 0.019 हैक्ट, पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा इसी कि.नं. 21 में 0.025 हैक्ट, दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर, कि.नं. 22 से 25(प्रत्येक में 0.025 हैक्ट) (दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर) एवं इसी चक 29 एम.ओ.डी.ए. के प.नं. 20/256 कि.न 16 से 20 (प्रत्येक में 0.025 हैक्ट.) प्रत्येक के दक्षिण दिशा में पूर्वरू से पश्चिम की ओर मौके पर बालू है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान् को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उनकी भूमि को प.नं. 21/256 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृतशुद्धा/राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता लगता हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते से कम दूरी का अन्य कोई. रास्ता नहीं हैं। पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गै०मु० रास्तों की लम्बाईयां समान है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा पूर्व में पन 21/256 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृतं शुद्धा रास्ता चालू है। रिपोर्ट मुताबिक चक 29 एम.ओ.डी.–बी के प.नं. 21/260 व 21/261 के प्रत्येक के क्रमशः 5/2, 6/2, 15/2, 16/2, 25/2 व 5/2, 6/2, 15/2, 16/4, 16/6, 25/2, मौके पर बन्द हैं। मौके पर उपस्थितगण ने बताया की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उक्त रास्ता लगभग 30–35 वर्षो से उपयोग में न आने के कारण बन्द हैं।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए है शामिल पत्रावली है।

बहस अधिवकता उभयपक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में पूर्व में स्वीकृत शुदा रास्ते के स्थान पर च[illegible] हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के द्वारा बहस में क[illegible]या कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को रास्ता की एवज में राशि दी जा[illegible] अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की भूमि में दर्ज रास्ता 21/260 [illegible] 76 व 21/26[illegible] न. 77 में स्वीकृत शुदा रास्ता निरस्त कर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज किया जावे[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य एवं शपथ पत्र का गहन अध्ययन किया गया। कोलोनाइजेशन एक्ट शर्त 8(2) के तहत रास्ता शिफ्ट के तहत पुराने रास्तों को हटाकर नया रास्ता प्रदान करना जो कि आवागमन की सुविधा एवं

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

भूमिकरण योजना व्यवस्थित हो एवं भूमि का उपयोग अधिक प्रभावी तरीक से हो सके जिसके तहत अप्रार्थीगण के प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 3 व 4 क्रमशः नसीब कौर व जसमीत सिंह के चक 29 एमओडी बी प.न. 21/260 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025, 16/2/0.025 व रास्ता निरस्त कर अप्रार्थी संख्या 3 के कृषि भूमि अनकमाण्ड दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है व प.नं. 21/260 के किला नं. 25/2/0.025 हैक. व प.नं. 21/261 के किला नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025 में दर्ज रास्ता चालू न होने की स्थिती में निरस्त किया जाकर उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 4 के नाम अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है उक्त रास्ता शिफ्ट किया जाकर चक 29 एमओडी ए प.न. 19/256 किला नं. 21/0.025, 22/0.025, 23/0.025, 24/0.025, 25/0.022 में दक्षिण दिशा में बने व चालु रास्ते से से जोडता हुआ पूर्व से पश्चिम जाते हुए किला नं. 21/0.019 पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व प.न. 19/256 के किला नं. 20/0.006 कोना से जाते हुए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 29 एम ओ डी–ए के प. नं. 20/256 के किला नं. 16/0.025, 17/0.025, 18/0.025, 19/0.025, 20/0.025 में बने दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते से जो मौके पर चालु है को अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर बिना किसी प्रतिकर के स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा आदेशों की पालना में रास्ता राजस्व रिकार्ड में अन्य वाद/स्थगन नहीं है तो अमलदरामद करें।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 23/9/25 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested